न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ (झुन्झुनू)

पीठासीन अधिकारी :: मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 91/2017

1. महेशकुमार पुत्र नौरंगसिंह
2. श्यानादेवी पत्नी नौरंगसिह जाति जाट निवासी लाख की ढाणी तन डूमरा तहसील नवलगढ
3. दिलेरसिंह पुत्र बोयताराम जाति जाट निवासी कुमावास तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

—आवेदकगण

बनाम

1. सुमेरसिंह
2. सुरेन्द्रसिंह पुत्रान मामचन्द
3. सोनीदेवी पत्नी मामचन्द जाति जाट निवासीगण गढवालों की ढाणी तन डूमरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

—अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

ऐडवोकेट आवेदक :— श्री अमरसिंह शेखावत
ऐडवोकेट अना0 :— श्री चन्द्रकान्त शर्मा

आदेश

दिनांक 19.08.2019

आवेदकगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम लाख की ढाणी तन डूमरा की सरहद में भूमि ख.न. 894/2.68, 957/3.01 किता 2 कुल रकबा 5.69है0 अवस्थित है, जो आवेदकगण व अनावेदकगण की शामलाती खातेदारी काश्त की भूमि है, उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड शामलाती रूप से चला आ रहा है। उक्त भूमि पीढियों से चली आ रही है, संयुक्त रूप से आवेदकगण व अनावेदकगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। भूमि आवेदकगण का 1/4, अनाावेदकगण नं. 1 लगायत 3 का 1/2 हिस्सा व आवेदक नं. 3 का 1/4 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। अनावेदकगण नं. 1 लगायत 3 चतुर व चालाक किस्म के व्यक्ति हैं पटवारी हल्का से साज कर उपरोक्त आराजीयात का अपने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाकर वादीगण के हस्ताक्षर करवा कर भूमि का विभाजन दिनांकि 27.06.2016 को उप तहसील मुकुन्दगढ के यहां नायब तहसीलदार से तस्दीक करवा लिया। उक्त आराजीयात का जिस तरह से विभाजन प्रस्ताव आवेदकगण को दिखाया उसके विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार किया तथा आवेदकगण को दिखाये गये विभाजन प्रस्ताव पर विश्वास कर उप तहसील में नायब तहसीलदार के समक्ष आवेदकगण ने हस्ताक्षर कर दिये, उक्त गलत विभाजन व आवेदकगण की भूमि में अनावेदकगण नं. 1 लगायत 3 का रासता भी नक्शा ट्रेस में आवेदकगण की भूमि में गलत रूप से दर्शा दिया गया जबकि उनका आवेदकगण का 1/4 हिस्सा में कोई रास्ता नही था, उक्त गलत विभाजन की आड मे अनावेदकगण नं. 1 लगायत 3 आवेदकगण के कब्जे काश्त की भूमि जो विभाजन से पूर्व मौखिक रूप से विभाजन कर रखा था उससे अनावेदकगण नं. 1 लगायत 3 बेदखल करने का आमादा है। उपरोक्त गलत विभाजन की आड में आवेदकगण को वैद्य अधिकारों के विपरीत होने के कारण से कोई प्रतिकूल असर नही डालता परन्तु विभाजन प्रस्ताव से बना राजस्व रिकार्ड की आड में आवेदकगण को अपने अधिकारो से महरूम होना पड सकता है। साथ ही आवेदकगण को उक्त विभाजन से भूमि भी 0.09 है0 भूमि कम दी गई तथा गलत रूप से आवेदकगण की भूमि में रासता भी चारो और रास्ता नक्शा ट्रेस में दर्शित कर दिया आवेदकगण की भूमि एक तरह से काश्त करने लायक भी नही रही है, इसलिये अपने हक अधिकारो के लिये दिनांकि 27.06.2016 का विभाजन प्रस्ताव व उसेक बाद बना राजस्व रिकार्ड आवेदकगण के अधिकारों के खिलाफ होने से नल एण्ड वोइड घोषित करवाने हेतु वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

अनावेदकगण राजस्व रिकार्ड की आड में आवेदकगण की भूमि को वेस्ट व डेमेज करना चाहते हैं जबरदस्ती आवेदकगण की भूमि में रास्ता डालना चाहते हैं, जिसका इनको कोई अधिकार नही है। गलत नक्शा ट्रेस में अंकित रास्ते को जबरदस्ती खोलने के लिये अनावेदकगण ने दिनांक 26.07.2017 व दिनांक 27.06.2016 को गलत विभाजन प्रस्ताव तस्दीक होने से इस आशय की धमकी दी कि पुलिस प्रशासन से रास्ता खुलवायेंगे व तुम्हारी जमीन पर कब्जा करेंगे इत्यादि की धमकी देने पर आवेदकगण शांतिप्रिय व्यक्ति है न्याय मे विश्वास रखता है इसिलये अपने वैद्य अधिकारों की रक्षा के लिये अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला दावा अनावेदकगण को ज़रिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वाके ग्राम लाख की ढाणी में अवस्थित भूमि ख.न. 894/2.68, 957/3.01 है0 के गलत विभाजन की आड में आवेदकगण के वैद्य अधिकारो से वंचित नही करे, न किसी से करावे, न ही भूमि को वेस्ट व डेमेज करे न ही ऐसा किसी से करावे मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी अनावेदकगण की गई। अनावेदकगण नं. 1 लगायत 3 द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वर्णित किया गया कि विवादित भूमि के ख.न. 894, 1324/894, 957, 1326/957 बने जिसके आवेदकगण ने प्रार्थना पत्र में दर्ज नही किये तथा मौके पर खातेदारों के आवागमन हेतु रास्ता छोडा जिसके ख.न. 1323/894, 1325/957 डाले गये। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड जरिये नामा0 1753 के द्वारा बनाया गया है जिनको आवेदकगण ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज नही किया इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। मौके पर बंटवारा होकर विभाजन प्रस्ताव के आधार पर नामान्तरणकरण के द्वारा राजस्व रिकार्ड बनाया जा चुका है इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। आवेदकगण ने तमाम बाते झूठी बेबूनियाद व मनगढंत दर्ज की है विभाजन प्रस्ताव विधि अनुसार बनाया गया था। विभाजन प्रस्ताव तैयार करके उस पर खातेदारों के फोटो लगाकर उसे अच्छी तरह सुन व समझकर गवाहान के समक्ष पढकर हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी की गई है जिसके आधार पर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है। हिस्से अनुसार सबके जमीन आई है। विधि अनुसार मौके पर बंटवारा करके काश्त व काबिज हैं तो बेदखल करने का सवाल ही पैदा नही होता है। यह गलत है कि 0.09 है0 भूमि कम कर दी गई हो। आवेदकगण ने तमाम बाते झूठी व गलत लिखी हैं। जब आवेदकगण को कोई वैद्य अधिकार वंचित हो ही नही रहे तो उसे नुकशान होने मानसिक पीडा भूगतने का सवाल ही पैदा नही होता है। आवेदकगण का न तो प्रथम दष्टया मामला है ना सुविधा का सुतुलन उनके पक्ष मे है इसलिये उन्हे क्षति होने का सवाल ही पैदा नही होता है।

आवेदकगण ने उक्त प्रार्थना पत्र विधि अनुसार व आपसी सहमति से किये गये विभाजन प्रस्ताव को चुनौती दी है जबकि विभाजन प्रस्ताव के विरूद्ध अपील पेश करने का प्रावधान है इसलिये प्रार्थना पत्र कानूनन मैन्टेनेबल नही होने से खारीज होने योग्य है। विभाजन प्रस्ताव विधि अनुसार तस्दीक किया जाकर विधिवत विभाजन कर राजस्व रिकार्ड बनाया जा चुका है। जरिये नामा0 रिकार्ड में दर्ज हो चुका है। जिसके आधार पर काश्त व काबिज हैं इसलिये उक्त वाद प्रार्थना पत्र मैन्टेनेबलत नही है व खारीज होने योग्य है।

जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील पक्षकारान द्वारा प्रार्थना पत्र व जबाब प्रार्थना पत्र तथ्यो को दोहराया गया। तथा वकील आवेदक द्वारा नजीर के रूप में आरआरटी 2011 पेज 57 से 64 पेश किया। वकील अनावेदक द्वारा नजीर में आरआरडी–14.12.18 पेज नं. 769, आरआरडी 14.06.16 पेज नं. 300, आरआरडी 14.03.18 पेज नं. 179 पेश की गई। अतः प्रस्तुत नजीरों व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा बहस तथ्यो पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा धारा 212 रा.का.अधि. के निस्तारण के लिये न्यायालय कों तीन बिन्दुओं जिनमे प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति देखनी होती हैं।

1- प्रथम दृष्टया मामलाः– नकल जमाबंदी ग्राम डूमरा संवत 2069–72 के अनुसार भूमि ख.न. 894/2.68, 957/3.01 किता 2 कुल रकबा 5.69है0 भूमि आवेदकगण व अनावेदकगण की शामलाती खातेदारी की रही है। सभी खातेदार द्वारा आपसी सहमति से विभाजन करवाया था। विभाजन आदेश अपील योग्य होता है। वकील प्रार्थी की मुख्य आपति यह है कि नायब तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

को विभाजन के अधिकार नही है तथा इसके समर्थन में 2011(1)आरआरटी–57 पेश की है। उक्त न्यायिक दृष्टान्त विभाजन आदेश के विरूद्ध अपील से संबंधित है इन बिन्दुओं का निर्णय वादपत्र में तनकी विरचित होने के बाद दोनों पक्षों की साक्ष्य मं होना है। अतः उक्त न्यायिक दृष्टांत प्रकरण में अक्षरशः चस्पा नही होता है। आपसी सहमति से खाता विभाजन होने से प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में है।

2. सुविधा का संतुलनः– वर्तमान में प्रश्नगत भूमि आपसी सहमति से विभाजित होकर अप्रार्थीगण के नाम दर्ज होने से सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में है।
3. अपूरणीय क्षतिः– अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि के खातेदार होने से अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त भी अप्रार्थीगण के पक्ष में है।

प्रार्थी को अपना वाद दावे में साक्ष्य से साबित करना है। उपरोक्त तीनों बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। इस न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 04.08.2017 खारीज की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। निर्णय आज दिनांक 19.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Scanned by CamScanner